न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर (चुरू)

संख्याः– 42/2016

पीठासीन. अधिकारीः–श्री श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

1. लक्ष्मी देवी पत्नी सिद्धार्थ जाति अग्रवाल (टांटिया)
2. अनिता देवी पत्नी राहुल जाति अग्रवाल (टांटिया)
3. सरला देवी पत्नी ईश्वरीप्रसाद जाति अग्रवाल (टांटिया)
4. हर्ष पुत्र ईश्वरीप्रसाद जाति अग्रवाल (टांटिया)

निवासीगण कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू हाल 96, नारकेलड़ांगा मैन रोड़ कोलकाता–700054 जरिये अपने मुख्त्यार सम्पतमल बैद पुत्र स्व0 सुरजमल बैद जाति ओसवाल निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

............वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बीदासर जिला–चूरू राजस्थान

...............प्रतिवादी

राजस्व वाद घोषणात्मक एवं राजस्व एक्स में संशोधन बाबत्

उपस्थितः–

1. श्री रघुवीर भांमू एडवोकेट वास्ते वादीगण
2. श्री दीनदयाल प्रजापज एडवोकेट वास्ते वादीगण
3. पैरोकार राज स्वयं उपस्थित

दिनांकः– 06/

निर्णय

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 92क व 188 के अंतर्गत नक्शा दुरूस्ती व चिर निषेधाज्ञा हेतु दिनांक 27.02.2016 को मेरे समक्ष प्रस्तुत किया। वादीगण अपने वाद पत्र में कथन किया कि वादीगण ख0 न0 1635 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा, ख0 नं0 1637 रकबा 35 बीघा 15 बिस्वा तथा ख0नं0 1637/[illegible] बिस्वा जिसके हाल ख0 न0 1635 रकबा 10–13 बीघा, ख0 नं0 2077/1637 रकबा [illegible] 07, ख0 न0 2078/1637 रकबा 30–08 तथा ख0न0 1637/1[illegible] रकबा 47–13 बीघा वाके ग्राम बीदासर जिला चूरू के रिकार्डेड खातेदार कृषक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 16:57:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

आगे यह कथन किया कि खसरा नम्बर 1635 व 1637 की पश्चिमी सीमा के सहारे [illegible] रास्ता आम सड़क बीदासर ग्राम से घंटियाल बड़ी को जाता है यह मौके पर मौजूद रास्ता उनके पूर्वजों के जमाने से चलता आया है जिसपर होकर सार्वजनिक आवागमन निर्बाध रूप से चल रहा है परन्तु भू प्रबंध विभाग ने इस रास्ते को खसरा नम्बर 1635 व 1637 की सीव जहां मिलती है उन दोनों के मध्य खसरा नम्बर 1636 रकबा 1–04 नक्शा अक्स वाके ग्राम बीदासर में दर्शा रखा हे। अर्थात् मौके पर रास्ता जहां होकर चालू है उस मौके के विपरीत नक्शा–अक्स दर्शाया हुआ है। जबकि मौके पर रास्ता खसरा नम्बर 1635 व 1637 की सीमा के मध्य ना होकर इनकी पश्चिमी सींव के सहारे–सहारे मौके पर चालू है। खसरा नम्बर 1635 व 1637 एक साथ मिलाकर चारो ओर बाउन्ड्री बनी हुई है।

वादीगण के मुख्त्यार ने जब इस संबंध में प्रतिवादी से संपर्क कर रास्ता खसरा नम्बर 1636 रकबा 1–04 को मौके के अनुसार सही स्थान पर कायम करने हेतु निवेदन किया तो उसने इसमें दुरस्ती की कार्यवाही करने के बजाय हमारे खेतों की इकजाई बाउन्ड्री के बीच में होकर धारा 91 की कार्यवाही करके रास्ता खुलवाऐगा। इस धमकी के कारण नक्शा दुरूस्ती और प्रतिवादी को चिरस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का कारण उत्पन्न हो चुका है। अतः प्रतिवादीगण ने जरिये मुख्त्यार आम के द्वारा यह दावा दुरूस्ती और चिरस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत किया है।

उक्त दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया तथा तहसीलदार बीदासर से मौके की रिपोर्ट की। तहसीलदार बीदासर ने अपने अधीनस्थ हलका पटवारी से मौका जांच करवायी, जिससे बिना किसी रद्दोबदल के हमें प्रेषित कर दिया। अर्थात् तहसीलदार मौके पर जो स्थिति पटवारी ने पायी उसमें सहमत है। तहसीलदार बीदासर ने अपने लिखित जवाब में पटवारी हलका की रिपोर्ट दिनांक 21.09.2016 के अनुसार वादीगण के वादपत्र को स्वीकार किया है व पटवारी हलका की रिपोर्ट स्वीकार है व खसरा नम्बर 1636 जो रास्ता का है जिसका होना भी तहसीलदार ने अपने जवाब में रास्ता नहीं होने का अंकन किया है। तहसीलदार ने अपने जवाब में सेटलमेंन्ट विभाग द्वारा वक्त पैमाइश मौके पर रास्ते को चालू दर्शा कर जमाबंदी में अंकित किया है। वादीगण ने उक्त रास्ते को बंद कर पश्चिमी सींव पर कायम करने की मांग की हैं वह सही नहीं है। अन्य तथ्य तहसीलदार ने स्वीकार किये हैं। इस प्रकार तहसीलदार का जवाब संस्वीकृति मानी जाती है। इसलिए जहां वादपत्र के जवाब में कोई विरोध नहीं हो तो वहां तनकियात कायम नहीं की जा सकती। इस बाबत् वादीगण ने अपना जबाबुल जवाब पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1635 व 1637 के बीच में जो रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकित किया गया है वह रास्ता कभी भी चालू नहीं रहा न ही मौका पर आज दिन चालू है न ही कभी इस बन्द रास्ता बाबत् किसी सरकारी व सार्वजनिक व्यक्तियों ने कोई आपत्ति वगैरह भी पेश नहीं [illegible] कोई ऐतराज हुआ है ना ही तहसीलदार बीदासर द्वारा इस [illegible] धारा [illegible] की कार्यवाही करने का कोई नोटिस वगैरह वादीगण को कभी [illegible] भी निवेदन किया है कि खसरा संख्या 1636 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि है। इसके बदले में खसरा संख्या 1635 व 1637 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 16:57:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

नी सींव पर रास्ता हेतू भूमि छोड़ कर पक्की दीवार कायम कर रखी है। इस बाबत् वारी हलका की रिपोर्ट भी श्रीमान जी के समक्ष पेश हो चुकी है। उपरोक्त वादपत्र में वादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 12 नियम 6 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है जिसमें निवेदन किया है कि जहां प्रतिवादी द्वारा वादी के वादपत्र को स्वीकार किया जाता हो वहां तनकियात कायम नहीं की जाती। इस बाबत् एक साइटेशन ए.आई. आर. 2000 एस.सी. पेज 2740 का भी पेश कर हवाला दिया है कि एडमिशन ऑफ फैक्ट सम्बन्धित बातें अन्तरवलित है। वहां तनकियात की आवश्यकता नहीं होती। पक्षकारों की बहस सुनकर निर्णय फरमाया जा सकता है। फिर भी वादीगण की ओर से साक्ष्य वादीगण के मुख्त्यार आम व गवाह जैसाराम, केदारनाथ, जगदीश प्रसाद के पत्रावली में लेखबद्ध करवाये गये जो वादीगण के वादपत्र के समर्थन में बयान किये हैं व वादगत खसरा भूमि के पड़ोसी व इसी रास्ता पर आवागमन करने वाले व्यक्ति हैं। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के सम्बन्ध में दस्तावेज प्रदर्श 1 से 8 तक के पेश करवाये।

बहस वादीगण वकील ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादगत खसरा भूमि जिसके पुराने खसरा नम्बर 1215 जिसके हाल खसरा संख्या 1637, 1635, 1636 है। जिसमें खसरा संख्या पुराना 1215 वादीगण के पूर्वज कानमल व इसके पश्चात् गणपतराम की खातेदारी के चले आ रहे हैं। जिसमें सैटलमेंन्ट के समय से पूर्व भूमि खुली पड़ी थी इसलिए उस वक्त खुली व बंजर भूमि में आवागमन हेतू पशुओं के लिए पगडण्डीनुमा रास्ता था। जिसको काश्त के समय में बन्द किया जाता था। लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश उपरोक्त पगडण्डीनुमा रास्ते को काबिल काश्त दर्शा कर रास्ता कटान का कायम कर दिया जिसको आज दिन तक उपरोक्त रास्ता पर कभी भी कोई आवागमन नहीं किया। वादीगण ने 35–40 वर्षों पूर्व से ही वादगत खसरा भूमि के चारों और दीवार बना रखी है व जहां राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्शा रखा है उसपे पुराने व बड़े बड़े पेड़ पौधे खड़े हैं। जिससे यह प्रमाणित है कि वादगत खसरा भूमि वादीगण के भूमि में से कभी भी आवागमन हेतू रास्ता नही रहा। श्रीमानजी द्वारा दो बार पटवारी हलका से रिपोर्ट मंगवाई जा चुकी हैं इस रिपोर्ट से भी साफ प्रमाणित हैं कि वादीगण के खेत के बीच से कोई रास्ता नहीं रहा। जो रास्ता चालू है वह खसरा नम्बर 1635 व 1637 के पश्चिमी सींव पर आज दिन भी कायम हैं व आवागमन हेतू खुला है जो पटवारी हलका के नक्शा में लाल स्याही से अंकित है। पटवारी हलका के रिपोर्ट पर उपरोक्त रास्ता पर आवागमन करने वाले व्यक्तियों के भी हस्ताक्षर करवाये हैं। न्यायालय में बयान भी करवाये गये जो इसी रास्ता से आवागमन करते आ रहे हैं। जिन्होंने मौके पर पटवारी हलका को बताया है कि हमने हमारी याददाश्त से वादीगण के [illegible] से कभी रास्ता नहीं देखा और ना ही हमने कभी वादीगण के खेत के बीच रास्ते से कभी [illegible] किया। जो पटवारी हलका ने अपने नज[illegible] नक्शा में लाल [illegible] रखा है उसी रास्ता से आवागमन करते हैं व ही रास्ता आज दिन [illegible] वकील वादी ने आगे निवेदन किया। वादी[illegible] का खेत चारों तरफ से 30–35 [illegible] से चारदीवारी से घिरा हुआ है जिसके पूर्वी तरफ [illegible] चिकित्सालय बना हुआ है। रास्ते का खसरा नम्बर 1636 विवादित खेत में 30–35 सा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 16:57:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

ना होना मौके पर तहसीलदार के अलावा मौतवीरों ने भी बताया है। अक्स में या रास्ता कभी नहीं रहा ना ही कभी मांग हुई, ना कोई तहसीलदार ने 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही हुई, ना ही किसी सामान्य व्यक्ति ने इस बाबत् ऐतराज किया तो ऐसी गैर जरूरी रास्ते को जिद्द करके खोलने की कुचेष्टा से किसान की उपजाऊ जमीन नष्ट भष्ट हो जाएगी। वकील वादी ने यह भी निवेदन किया कि वादगत रास्ता भूमि में अंकित भूमि की ऐवज में वादगत खसरा भूमि 1635, 1637 की पश्चिमी तरफ की सींव पर उत्तर से दक्षिणी ओर घंटीयाल बड़ी के खेतों में जाने का रास्ता में भूमि छोड़ रखी है, जो पटवारी हलका की रिपोर्ट में अंकित है। वादी का वादपत्र स्वीकार कर वर्तमान राजस्व अक्स में अंकित संशोधन किया जावे वा यह भी निवेदन किया कि उपरोक्त रास्ता वादीगण के खेत तक ही चालु है आगे घंटियाल बड़ी की रोही आती है वा इस रोही में कटाणी रास्ता रिकॉर्ड में नहीं है। आदि–आदि निवेदन किया।

हमने मौके की रिपोर्ट और दावे के तथ्यों को अवलोकन किया तो पाया कि मौके पर मौजूद रास्ता और नक्शा अक्स में कायम रास्ता की स्थिति में फर्क है। और जांच रिपोर्ट में यह भी तथ्य स्पष्ट हुआ कि मौके पर मौजूद रास्ता नक्शे में खसरा नम्बर 1635 व 1637 की पश्चिमी सीमा पर वर्तमान में चालू रास्ता का भाग है। और नक्शे में कायम रास्ता खसरा नम्बर 1635 व 1637 में मिला हुआ है। रास्ता उपरोक्त खसरा के पश्चिमी सीव के सहारे–सहारे छोड़ा हुआ है। पैरोकार राज ने अपनी मौखिक बहस में भी कहा कि रास्ता भूमि के बदले में इसी सीमा की छोड़ी जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे में मौजूद रास्ते के अंकन को निरस्त कर मौके पर मौजूद आवागमन के रास्ते के अनुसार नक्शा में दुरूस्ती किया जाना उचित है।

आदेश

अतः आदेश है कि ग्राम बीदासर के नक्शे में अंकित गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 1636 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा को अंकित स्थान से निरस्त करके मौके पर मौजूद खसरा नम्बर 1635 व 1637 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे 1 बीघा 04 बिस्वा रकबा की सीमा तक कायम करके नक्शा दुरूस्त किया जावे व नक्शे में अंकित लोकेशन नक्शे को निरस्त किया जाकर खसरा नम्बर 1635 व 1637 के पश्चिम की तरफ मौके पर प्रचलित(चालू) रास्ते के अनुसार नक्शे में तरमीम की जाकर उसके खसरा नम्बर 1637 के रकबा ·01 बीघा 04 बिस्वा बदस्तुर अंकित किया जाये, खसरा नम्बर 1635 व 1637 के खातेदार वादीगण को पाबंद किया जाता है कि उक्त चालु प्रचलित रास्ते को ना बंद करे और ना अवरूद्ध पैदा करे, आवागमन बदस्तुर चालु रहे। आदेश की पालना हेतू तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

आदेश खुले न्यायालय में आ... ...2/20 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 16:57:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर